

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक :- 1111

दिनांक :- 25.10.18

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी

एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक,

झारखण्ड, राँची।

✓ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग।

विषय:-

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर द्वारा दानकुनी पश्चिम बंगाल से सोननगर सेक्शन निर्माण पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के तहत कोडरमा Detour (PPP Mode) से हजारीबाग तक (Detour Section) के निर्माण हेतु कुल 203.803 हे० वनभूमि (हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल अन्तर्गत 121.003 हे० एवं वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग अन्तर्गत 82.80 हे०) अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:-

1. मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 1706 दिनांक 04.10.2018

2. वन संक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग का पत्रांक 2546 दिनांक 01.09.2018

महाशय,

प्रासंगिक पत्रों द्वारा विषयगत परियोजना हेतु कुल 203.803 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy की पाँच-पाँच प्रतियाँ इस कार्यालय में प्राप्त हुई हैं। मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची एवं वन संक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के साथ संलग्न अभिलेखों के प्रारंभिक समीक्षा में निम्न अभिलेखों में स्पष्टता/सुधार की आवश्यकता है, जो प्रमण्डलवार एवं प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से निम्नवत् किया जाना है :-

1. प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से अपेक्षित सुधार

- पार्ट-I के बिन्दु I(ii) पर वन्यप्राणी प्रस्ताव समर्पित करने संबंधी विवरणी/अभिलेख वर्णित किया जाना अपेक्षित है।
- प्रस्ताव के साथ 203.803 हे० अपयोजन प्रस्ताव के विरुद्ध 158.034 हे० का FRA Certificate संलग्न है। शेष क्षेत्रफल हेतु FRA Certificate संलग्न किया जाना अपेक्षित है।

2. हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल के स्तर से अपेक्षित सुधार

प्रस्ताव के साथ संलग्न पार्ट-II के निम्न बिन्दुओं पर अपेक्षित सुधार -

- अपयोजन क्षेत्रफल 121.003 हे० के स्थान पर 120.877 हे० अंकित है।
- कॉलम में दर्ज कुल वृक्षों की संख्या 47,548 है, जबकि संलग्न अनुलग्नक-xxv पर कुल वृक्षों का सारंश 48,571, जो विरोधाभासी है।
- Working Plan prescription अंकित नहीं है।
- 8(i) एवं 8(v) में परस्पर विरोधाभासी तथ्य अंकित है।
- इस बिन्दु पर क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित वनभूमि में वर्णित प्लॉट सं० एवं CA land की उपयुक्तता प्रमाण पत्र में प्लॉट सं० 1577, 1566, 1578 एवं 1601 वर्णित नहीं है।

13.(iv) Uploaded Toposheet में चिन्हित CA land नहीं दर्शाया गया है।

3. हजारीबाग वन्यप्राणी प्रमंडल के स्तर से अपेक्षित सुधार

प्रस्ताव के साथ संलग्न पार्ट-II के निम्न बिन्दुओं पर अपेक्षित सुधार -

3. जिला एवं प्रमंडल में अपयोजित होनेवाली वनभूमि अंकित नहीं किया गया है।

4.(ii) प्रजातिवार एवं गोलाईवार वृक्ष गणना सूची Upload नहीं किया गया है।

5. Management Plan prescription अंकित नहीं है।

16. आपके Recommendation letter के बिन्दु 4, 10 एवं 13 पर उद्धृत शर्तों का औचित्य एवं आधार उल्लेखित की जाय।

अनु0-xiv आपके द्वारा CB analysis में Cost/Benefit estimation में कतिपय सुधार किये गये हैं, जिसके कारण परियोजना के इस अंश से संबंधित CB ratio 1:0.24 हो गया है। Benefit Calculation अंश में सुधार किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

अतः दोनों वन प्रमण्डलों से संबंधित प्रस्ताव की पाँच-पाँच मूल प्रतियाँ वापस करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त अपेक्षित खामियों में आवश्यक सुधार हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेशित कर प्रस्ताव में आवश्यक संशोधनोपरांत इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0:-यथोक्त।

प्रस्ताव की पाँच-पाँच मूल प्रतियों के साथ।

दि 25.10.2018

40/25.10.2018

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।